

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत /कैम्प कोर्ट डबली कलां)

1. जसवन्त पुत्र रायसाहब जाति जाट निवासी डबली कलां तहसील टिब्बी।
वनाम्
-वादी

1. रायसाहब पुत्र जगमाल जाति जाट निवासी डबली कलां तहसील टिब्बी।
2. श्रीमति विमो पत्नी रायसाहब जाति जाट निवासी डबली कलां तहसील टिब्बी।
3. विजय लक्ष्मी पुत्री रायसाहब पत्नी स्व.मंगतूराम जाट निवासी भुरानपुरा तह.टिब्बी।
4. सुनिता पुत्री रायसाहब पत्नी जयसिंह जाति जाट निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी।
5. सरोज पुत्री रायसाहब पत्नी रुघवीर जाति जाट निवासी सरदारपुरा खालसा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
6. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

मुकदमा नम्बर:-80/2018

अन्तर्गत धारा:-88,53 आरटीए

निर्णय दिनांक:-13.6.2018

राजस्व लोक अदालत अभियान

न्याय आपके द्वार-2018

-प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से श्री मदनसिंह बुरडक एडवोकेट व प्रतिवादीगण की ओर से महावीर प्रसाद वर्मा एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13.6.2018 को उम्मेदसिंह रतनू उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-प्रतिवादी संख्या 1 रायसाहब के नाम से चक नं.12 डीवीएल के खाता संख्या 92/63 जमाबन्दी सम्वत् 2073 ता 76 में 1.518 है.कमाण्ड/अनकमाण्ड तथा इसी चक के खाता संख्या 93/77 में कुल 5.060 है. कमाण्ड,अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन खाला दर्ज है में से :-

1. वादी जसवन्त को प्राप्त आराजी:-चक नं.12 डीवीएल के खाता संख्या 93/77, प.नं.190/359 मु.नं.19 कि.नं. 16,17,18,19,20,21/1.518 है.,प.नं.190/361 मु.नं.37 कि.नं. 9,11,12,19,20,21,22 / 1.771 है.कुल 3.289 है. कमाण्ड,अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन खाला।
2. प्रतिवादी संख्या 1 रायसाहब को प्राप्त आराजी:-चक नं.12 डीवीएल के खाता संख्या 93/77 के प.नं. 189/359 मु.नं.18 कि.नं. 15,16,25/0.759 है.प.नं.190/359 मु.नं.19 कि.नं. 11,12,13,14,/1.265 है.,प.नं.190/ 361 मु.नं. 37 कि.नं. 1,2,10/0.759 है. प.नं. 189/360 मु.नं. 29 कि.नं. 5,6/0.506 है. कुल 3.289 है. कमाण्ड ,अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन खाला।

उपरोक्तानुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का उपरोक्तानुसार खाता विभाजन किया जाकर रकम राज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी संख्या 1 का उपरोक्तानुसार रकबा कम किया जाकर शेष रकबा यथावत रखा जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। यथावत रखा जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

यह आज तारीख 13.6.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान ग्राम पंचायत डबली कलां में मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, टिब्बी



वाद के खर्चे	वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वादपत्र के लिए स्टाम्प		1100/-	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		0	अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		0	प्लीडर की फीस	0
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		0	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		0	आदेशिका की तामील	0
6 कमिश्नर की फीस		0	कमिश्नर की फीस	0
7 आदेशिका की तामील		0		0
जोड़		1100/-	जोड़	0